

>

Title: Statutory Resolution regarding Disapproval of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance and the motion for consideration of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Bill , 2021 (Statutory Resolution not moved and Bill passed).

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 22 and 23.

Adv. Adoor Prakash...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri M. K. Raghavan ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. Dean Kuriakose ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Benny Behanan ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh Gill ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohammed Faizal P.P. ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Vinayak Bhaurao Raut ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kodikunnil Suresh ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri K. Sudhakaran ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Amar Singh ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri P. R. Natarajan ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. A.M. Ariff ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri T. N. Prathapan ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Thomas Chazhikadan ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Hibi Eden ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri S. Venkatesan ...

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, AND MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV): Respected Sir, with your permission, I beg to move:

“That the Bill to provide for the constitution of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas for better co-ordination, research, identification and resolution of problems surrounding the air

quality index and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहेंगे?

... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति जी, हमारी सरकार स्वच्छ पर्यावरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं जो बिल मूव कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्र के वायु क्षेत्र में एयर शैड के माध्यम से जो पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन के लिए एक संस्थागत रूप से संस्थान देकर, निराकरण और समाधान के लिए दिल्ली को स्वच्छ वायु देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है। ... (व्यवधान)

महोदय, हम जानते हैं कि लंबे समय से दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के कारण एडहॉक कमेटियों का निर्माण किया गया था। पिछले कुछ समय में, जिस प्रकार से दिल्ली में वायु प्रदूषण हुआ और वायु प्रदूषण केवल दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली के आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, उद्योग हो या अन्य कारणों से वायु प्रदूषण का विषय हो, एक ऐसा समन्वित, इन्टीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन बनाने की आवश्यकता थी, जिस इन्टीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकें ताकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए संस्थागत स्वरूप दे पाएं। ... (व्यवधान) हम इस प्रभावशाली तंत्र को बनाने के लिए ही यह बिल लेकर आए हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक उत्सर्जन के कारण और जैव पदार्थों के जलाए जाने के कारण दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बनता रहा है। इससे पहले भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया था। हम, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, को रोकने के लिए स्थायी समर्पित और सहभागी तंत्र बनाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) हमने इस लोक सहभागिता के लिए तय किया है और जो तंत्र बनाया गया है, उसमें एक तरफ प्रशासनिक और एन्वायर्नमेंट की दृष्टि से एक्सपर्ट लोगों को

रखा है, इसके साथ ही साथ इस बात का भी प्रावधान किया है, ... (व्यवधान)
एनसीआर के समीपवर्ती जितने राज्य हैं, उनके प्रतिनिधियों को संस्थान में हिस्सा दिया है। ... (व्यवधान)

अतएव मैं आपके माध्यम से यह बिल सदन में मूव करता हूँ। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की समस्या है, उसको रोकने के लिए हम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडज्वाइनिंग एरियाज़ बिल, 2021 लाए हैं। ... (व्यवधान) हम दिल्ली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत अच्छा तंत्र लेकर आए हैं।

हम सभी सदस्य मिलकर इस बिल को पास करके दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए इस तंत्र की स्थापना करने में मदद करें।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:-

“कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी सूचकांक के आस-पास की समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान हेतु वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का गठन करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

Clause 2

Definitions

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Yes. Sir, I beg to move:

Page 2, line 3, --

after

“means the areas”

insert

“within 500 kilometres”. (1)

Page 2, for lines 15 and 16, --

substitute

‘(f) “National Capital Region” means the areas within the radius of 500 kilometres of the States of Haryana, Punjab, Rajasthan, and Uttar Pradesh;’. (2)

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

... (व्यवधान)

Clause 3

Constitution of Commission

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Yes. Sir, I beg to move:

Page 2, line 40, --

after “air pollution”

insert “and climate change”. (5)

Page 3, for line 25, --

substitute (h) representatives from the Ministry of Earth Sciences and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.”. (9)

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 10 और 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes. Sir, I beg to move:

Page 2, line 28, --

for “fifteen”

substitute “twenty”. (3)

Page 2, lines 29 and 30, --

omit “or having administrative experience of not less than twenty-five years”.
(4)

Page 3, line 2, --

after “air pollution”

insert “and environmental protection”.

(6)

Page 3, line 9, --

after

“construction”

insert

“having experience in matters concerning combating of pollution and environmental protection”. (7)

Page 3, *omit* line 25.

(8)

Page 3, line 32, --

omit

“and notwithstanding any judgement or order of any court,”. (10)

Page 3, lines 34 and 35, --

omit

“and no other body, authority, individual or committee shall have any power or jurisdiction in such matters”. (11)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 10 और 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

... (व्यवधान)

Clause 4 Appointment of Chairperson, Members and Member- Secretary

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes. Sir, I beg to move:

Page 4, after line 8, --

insert

“(da) Chief Minister or Ministers-in-charge of the department dealing with environment protection in the National Capital Territory of Delhi and the state of Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh;”. (12)

Page 4, omit lines 10 to 13. (13)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

... (व्यवधान)

Clause 6 Terms of Office of Chairperson and Members

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes. Sir, I beg to move:

Page 4, for line 37, --

substitute

“age of sixty-five years, whichever

Is earlier.”. (14)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 11 Sub-Committees and other staff of Commission

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Yes. Sir, I beg to move:

Page 6, line 9, --

for “medicine”

substitute “herbal medicine”. (15)

माननीय सभापति: अब मैं प्रो. सौगत राय, द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 11 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 Powers and Functions of Commission

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 16 से 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Yes. Sir, I beg to move:

Page 6, line 36, --

after “co-ordination of actions by”

insert “the Central Government and”.
(16)

Page 7, line 27, --

after “service”

insert “to stop illegal construction which causes
air pollution”. (17)

Page 9, *omit* line 28. (18)

Page 9, line 31, --

for “stubble burning”

substitute “air pollution”. (19)

माननीय सभापति: अब मैं प्रो. सौगत राय, द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 से 19 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

14.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.30 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (व्यवधान)

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Adv. Dean Kuriakose, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the

floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : महासचिव ।

... (व्यवधान)